मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाषः 0755–2767786 ई–मेलः registrarmpmc@gmail.com

क्रं. एमपीएमसी/एनओसी/2020/ 640 भोपाल दिनांक

//परिपत्र//

विषयः– मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012 / 61 / लोसेप्र / पी. एस.जी.–25 दिनांक 24.01.2017 में शामिल **सेवा सेवा क्रमांक 25.6** के संबंध में निर्देश।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल के पूर्व परिपत्र क्र. एमपीएमसी/एनओसी/2019/1901–1946 दिनांक 04.04.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**
   मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना ।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा :–**
   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल 15 कार्य दिवस

3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**
   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, लोक सेवा केन्द्र अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा।

4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–**
   4.1 आवेदक म. प्र. मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप (Permanentaly) से पंजीकृत हों।
   4.2 आवेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में कोई भी शिकायत पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए।
   4.3 यदि आवेदक ने मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस एवं पी.जी. उपाधि प्राप्त की है एवं वे अनिवार्य ग्रामीण चिकित्सा सेवा हेतु बॉण्डेड हैं तो बॉण्ड की शर्तों का पालन पूर्ण करना अनिवार्य है।

5. **आवश्यक दस्तावेज :–**
   5.1 परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,
   5.2 एडिशनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,
   5.3 यदि आवेदक ने मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस एवं पी.जी. उपाधि प्राप्त की है एवं वे अनिवार्य ग्रामीण चिकित्सा सेवा हेतु बॉण्डेड है तो बॉण्ड की शर्तो का पालन पूर्ण करने का प्रमाण पत्र,

   अथवा

   अनिवार्य ग्रामीण चिकित्सा सेवा हेतु बॉण्डेड नहीं होने के संबंध में कोई अधिकृत प्रमाण की प्रति।

5.4 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix 'A')

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

6.1 आवेदक जिन्हे मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता हो, उन्हें अपना आवेदन ऑनलाईन (https://mpmc.mponline.gov.in/) प्रस्तुत करना होगा ।

6.2 यूजर प्रोफाईल बनाने हेतु आवेदक https://mpmc.mponline.gov.in/ में User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.3 यूजर प्रोफाइल/आवेदन प्रस्तुत करने/डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने/ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755–6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाईन की शिकायत लिंक http://mponline.gov.in/portal/ → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

6.4 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix '**A**' अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.5 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी सही–सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।

6.6 आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।

6.7 आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई–मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

6.8 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें। आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें। आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.9 आवेदक मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप से पंजीकृत होने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।

6.10 यदि आवेदक ने मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी अथवा निजी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस एवं पी.जी. उपाधि प्राप्त की हो तथा वे अनिवार्य ग्रामीण चिकित्सा सेवा हेतु बॉण्डेड है तो बॉण्ड की शर्तो का पालन पूर्ण करने का प्रमाण पत्र, अथवा अनिवार्य ग्रामीण चिकित्सा सेवा हेतु बॉण्डेड नहीं होने के संबंध में कोई अधिकृत प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.11 आवेदन ऑनलाईन पोर्टल द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना होगा एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.12 आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जाना होगा। शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है।

6.13 आवेदन शुल्क जमा होने के उपरांत आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के यूजर प्रोफाईल पर उपलब्ध होगी।

6.14 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

6.15 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को (User Profile में जाकर) आवेदन में आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करना होगा। संशोधित आवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही आगामी कार्यवाही की जाना संभव होगी ।

6.16 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक के यूजर प्रोफाईल में अपलोड होगा जहां से आवेदक सिर्फ एक बार प्रिंट ले सकते हैं। आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर पोस्ट से भेजा जावेगा।

7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को अपने User Profile में जाकर आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत करना होगा।

7.2 यदि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आवेदक) के विरूद्ध मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल में कोई शिकायत पंजीबद्ध है अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर से हटाया गया हो तो मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जावेगा।

7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हेतु पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा।

7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हेतु पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जनरेट कर डिजिटल साईन किया जावेगा।

7.5 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा आवेदन पत्र को अस्वीकृत करने की सूचना आवेदक के पते पर पोस्ट से भेजी जावेगी ।

8. शुल्क –

8.1 अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने हेतु आवेदन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] रूपये 1500/– (पंद्रह सौ रूपये मात्र) है ।

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 कमांक एमपीएमसी/एनओसी/2020/641-51 भोपाल दिनांक 25/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
4. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
7. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कॉर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
9. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
11. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix –A

Colour Photo
Signature